रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2008/कार्तिक 28, 1930
No. 609] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2008/KARTIKA 28, 1930

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 800(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन करने या नगर विस्तार या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बनाने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 5 में संशोधन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन करने या नगर विस्तार या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बनाने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2008 (इसके बाद से प्रधान विनियम के रूप में उल्लेख किया जाएगा) के उप-विनियम (8) में "साठ दिन" शब्द को "एक सौ बीस दिन" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए"।

3. विनियम 18 में संशोधन

प्रधान विनियम में उप-विनियम *(2)* के खण्ड *(क)* में "पर" शब्द को हटा दिया जाए।

4. **अनुसूची ग में आवेदन-सह-बोली में संशोधन**

प्रधान विनियम में अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट आवेदन-सह-बोली के लिए बिंदु 5 के अंतर्गत अनुदेश को निम्नलिखित अनुदेश से प्रतिस्थापित किया जाए:

5. कंपनी को अपने आवेदन-सह-बोली को सभी अनुलग्नकों सहित दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होता है। आवेदन-सह-बोली और सभी अनुलग्नकों की डिजिटल हस्ताक्षर सहित एक कंपैक्ट डिस्क और एक सॉफ्ट कॉपी भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

6. **अनुसूची घ में संशोधन**

प्रधान विनियम में अनुसूची घ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकरण प्रदान करने की स्वीकृति में "वितरण" शब्द के बाद "नेटवर्क" शब्द जोड़ा जाए।

7. **अनुसची ज में संशोधन**

प्रधान विनियम में अनुसूची ज के भाग-III के बिंदु ख में "सामान्य वाहक" शब्द के बाद "और" शब्द के लिए, "या" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. एस-प्रशा/II/8/2008-खण्ड-I]

रतन पी. वातल, सचिव

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2008

G.S.R. 800(E).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment in regulation 5.**

In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008 (hereinafter referred as principal regulation), in the sub-regulation *(8)*, the words "sixty days" shall be substituted by the words "one hundred and twenty days".

3. **Amendment in regulation 18.**

In the principal regulation, in clause *(a)* of sub-regulation *(2)*, the word "at" shall be deleted.

4. **Amendment in the Application-cum-bid in Schedule C.**

In the principal regulation, the instruction under point 5 for the Application-cum-bid specified in Schedule C is substituted by the following instruction:

5. The entity is required to submit in duplicate its application-cum-bid with all enclosures. A soft copy of the application-cum-bid with all enclosures in a compact disc with digital signatures shall also be submitted.

6. **Amendment in Schedule D.**

In the principal regulation, in the Acceptance of the Grant of Authorization specified under Schedule D, after the word "distribution", the word "network" shall be inserted.

7. **Amendment in Schedule H.**

In the principal regulation, in point B of Part-III of Schedule H, after the words "common carrier", for the word "and", the word "or" shall be substituted.

[F. No. S-Admn/II/8/2008-Vol. I]

RATAN P. WATAL, Secy.

अधिसचना